न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 09 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 24

उनवान प्रकरण

सीमा शर्मा पत्नी नीरज शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.2.2024
मु0नं0 400 / 2024 सरकार बनाम सीमा शर्मा
धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतोर गौड एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 30.9.2024**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 56/1 व 52/1 रकवा 1.7703 हेक्टेयर सिवायचक आराजी पर सम्बत 2080 में रवी की फसल सरसों व गैंहू बोकर पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए खडी फसल को जप्त कर नीलाम करने एवं अपीलान्ट को बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुना शास्ति 1050/–रू0 कायम करने का आदेश दिनांक 20.02.2024 पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार सैपऊ द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के बावत नियमन का पात्र मानते हुये आवन्टन/नियमन हेतु उपयुक्त मानते हुये अपनी स्वंय की अभिषंशा करते हुये पत्रावली उप जिला कलक्टर सैपऊ को प्रेषित की है जो वर्तमान में अभी लम्बित है। उपरोक्त नियमन पत्रावली के विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पूर्व में स्वंय तहसीलदार सैपऊ ही अपीलान्ट को नियमन का पात्र मान चुके है फिर अपीलान्ट को अतिकमी मानकर विधि विरुद्ध तरीके

से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर रखकर राठौरी रवैया अख्तैयार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 18.03.2024 को हल्का पटवारी के अवगत कराने पर हुआ तत्पश्चात उसी दिन दिनांक 18.03.2024 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय तहसीलदार सैपऊ के यहां प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 21.03.2024 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात के बावत नियमन का पात्र मानते हुये आवन्टन/नियमन हेतु उपयुक्त मानते हुये अपनी स्वंय की अभिषंशा करते हुये पत्रावली उप जिला कलक्टर सैपऊ को प्रेषित की है जो वर्तमान में अभी लम्बित है। उपरोक्त नियमन पत्रावली के विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पूर्व में स्वंय तहसीलदार सैपऊ ही अपीलान्ट को नियमन का पात्र मान चुके है फिर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पटवारी द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सरकारी सिवायचक है। अतिक्रमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

न्याया0जिला कलक्टर धौ0
अपील संख्या 09 / 2024

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ की आदेशिका दिनांक 20.2.2024 में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जबाव, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिक्रमण का विवरण अंकित किया है, यह विवेक पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं है तथा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि पूर्व में स्वंय तहसीलदार सैपऊ द्वारा उपरोक्त विवादित आराजीयात के बावत अपीलान्ट को नियमन का पात्र मानते हुये आवन्टन/नियमन हेतु उपयुक्त मानते हुये अपनी स्वंय की अभिषंशा करते हुये पत्रावली उप जिला कलक्टर सैपऊ को प्रेषित की है जो वर्तमान में अभी लम्बित है। उपरोक्त नियमन पत्रावली के विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2024 में इसका कोई उल्लेख व विवेचन अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.2.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई कर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर